भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *67

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन

***67. श्री अरविंद गणपत सावंत:**
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री 02.08.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 2003 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि;

(क) क्या केंद्र प्रायोजित योजना होने के बावजूद राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला मानदेय/वेतन अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक केंद्र प्रायोजित योजना होने के बावजूद ऐसा होने का क्या कारण है; और

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समान मानदेय/वेतन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

******

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजन के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को मानदेय प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4,500/- रुपये प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 3,500/- रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250/- रुपये प्रति माह की दर से निधि जारी करती है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात इस प्रकार है:

विधानमंडल वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र - 60:40
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर सहित) - 90:10
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र - 100:0

इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है। विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूरा किए जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) के लिए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में दुर्घटना कवर के लिए 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/ बीमा का लाभ 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का प्रदान किया गया है।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामाकंन कराने के लिए प्रोत्साहित करें । यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ।

(iv) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(v) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई है।

******

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के वेतन" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में**	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	3100

		के लिए 2950	
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र)	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-एडब्लूडब्लू और 2750-मिनी एडब्लूडब्लू	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान एवं	7500	5750

	निकोबार द्वीप समूह		
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा और नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम)	4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****